''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2005—चैत्र 4, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री एस. के. केहरि, भा.प्र.से. (1992) संचालक, लोक शिक्षण एवं संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन को तत्काल प्रभाव से विशेष सचिव, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

2. श्री गेंद सिंह धनंजय, भा.प्र.से. (1997) उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, लोक शिक्षण एवं संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2005

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री सरजियस मिंज, भा.प्र.से. (1978) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग भी पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एस. के. केहरि, भा.प्र.से. (1992) विशेष सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग पदस्थ किया जाता है. श्री केहरि, को अतिरिक्त रूप से अपर आयुक्त, भू-अभिलेख का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2005

क्रमांक ई-1-20/2004/एक/2.—राज्य शासन, श्री एम. आर. सारथी, भा.प्र.से. (1988) को उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन-पत्र दिनांक 11-11-2004 से तीन माह पूर्ण होने पर अर्थात् दिनांक 12-2-2005 से अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम 16 (2) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईशिता राय, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक ई-7/36/2004/1/2.—श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से., पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 4-1-2005 से 13-1-2005 तक (10 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साहू, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री साहू, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2005

विषय :— राज्य बाढ़ नियंत्रण मण्डल के समिति का गठन.

क्रमांक 1512/349/डी-10/ज.सं./2001.—छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक 1864/349/डी-10/ज.सं./त.शा./रायपुर, दिनांक 16-4-2002 द्वारा गठित राज्य बाढ़ नियंत्रण मण्डल के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सरल क्रमांक-10, 11 एवं 12 में मनोनीत सदस्य माननीय श्री मन्तूराम पवार, माननीय श्री चैनसिंह सामले एवं माननीय श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर भूतपूर्व विधायक के स्थान पर माननीय श्री इन्दर चोपड़ा, माननीय श्री देवजी भाई पटेल एवं माननीय श्री प्रीतम साहू, विधायक को सदस्य मनोनीत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, प्रमुख सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2005

क्रमांक एफ 7-12/2003/एम.—छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सलाहकार समिति का गठन तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार करता है :—

(1)	मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
(2)	खनिज साधन विभाग के भारसाधक मंत्री	सदस्य
(3)	वित्त विभाग के भारसाधक मंत्री	सदस्य
(4)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग	सदस्य
(6)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम	सदस्य
(7)	क्षेत्रीय निर्देशक, जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रायपुर.	सदस्य
(8)	डॉ. के. के. मिश्रा, सेवानिवृत्त, ओ. एस. डी. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़.	सदस्य
(9)	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 2326/1531/05/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा कसारीडीह पुलगांव मार्ग के कि.मी. 7/10 पर स्थित पुलगांव नाला पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/उन्नीस दिनांक 29 जून 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 1-4-2005 से समाप्त करता है.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 2328/1533/05/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा बसना पदमपुर मार्ग के कि.मी. 3/8 पर स्थित सुरंगी नाला पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/उन्नीस दिनांक 29 जून, 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 1-4-2005 से समाप्त करता है.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 2330/1501/05/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा खरोरा रानीसागर आरंग मार्ग के कि.मी. 25/4 पर स्थित अमेठी नाला पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/उन्नीस दिनांक 29 जून 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 1-4-2005 से समाप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2005

संशोधन आदेश

फा. क्र. 1726/2584/21-ब/छ.ग./2005.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 6443/2584/21-ब/छ.ग./2004 दिनांक 25-10-2004 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश की पंक्ति 8 में शब्द ''लोक अभियोजक'' के स्थान पर शब्द ''अतिरिक्त लोक अभियोजक'' पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक /एफ-73-26/2004/उशि/38.—राज्य शासन द्वारा डॉ. यू. एस. पाठक, जो वर्तमान में निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में शिक्षा सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं, को छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विनियामक आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है :—

1. पूर्णकालिक सदस्यों का पद पूर्णकालिक एवं वैतनिक होगा.

2. पूर्णकालिक सदस्यों को समग्र रूप से रु. 18400/- (रु. अट्ठारह हजार चार सौ मात्र) प्रतिमाह वेतन, पेंशन तथा पेंशन के बराबर उपादान की पात्रता होते हुए भी प्राप्त होगा.

3. राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को तत्समय दिये जाने वाले दर से मकान भाड़ा भत्ता की पात्रता पूर्णकालिक सदस्यों को होगी और इसके साथ ही उनके कार्यालय एवं निवास पर एस.टी.डी. सुविधा सहित टेलीफोन की पात्रता होगी. अन्य विषयों पर उनकी सेवा शर्तें निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में उल्लेखित नियमों के अंतर्गत संचालित होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. वी. जे. प्रसाद, सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक /क/वा.भू.अ./अ.वि.आ./प्र. क्र. 5 अ-82/वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गुमा प. ह. नं. 54	0.06	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.)	पतालू नाला सेतु के पहुंच मार्ग हेतु अर्जित की जा रही भूमि अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 19/A 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-झाबर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.995 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
268/2	0.162
499/1	0.057
112/1	0.008
15/2, 16/1	0.081
46/2	0.045
113	0.024
511/1	0.121
46/1	0.020
14/2, 15/1	0.061
268/1	0.150
324	0.012
325/2	0.105
510	0.012
29/1, 56/2	0.032
329/3, 333	0.202
43/4	0.105
43/6	0.101
329/4, 334	0.097
45/1	0.150
230, 231	0.012
235/2	0.077
233/2	0.020
236, 237	0.036
47	0.069
84/2	0.024
85/1	0.105
90/2	0.219
43/7	0.040
335	0.121
341	0.146
109/3	0.202
55	0.089
321/3	0.040
321/1	0.049
268/3	0.150
218	0.032
57/1	0.020
338	0.057
339	0.012
509/1	0.069
511/6	0.061
84/3	0.158
219	0.146
220/1	0.049
220/3	0.036
234/3	0.020
235/4	0.024
108/3	0.105
232/2, 232/3	0.154
111	0.008
217	0.032
56/1	0.057
500/1	0.032
501/1	0.012
502/1	0.045
509/2	0.040
511/2	0.028
28, 56/3	0.085
331	0.085
86/1	0.012

(1)	(2)
269/2	0.138
501/2	0.040
502/2	0.049
112/7	0.089
43/5	0.012
41/1	0.012
15/3, 17/1	0.166
108/4	0.069
42/1	0.016
500/3	0.032
502/3	0.049
योग 71	4.995

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर खुज्जी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 14/A 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-भाड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
190/3	0.012
187/1	0.134
1136	0.032
1232/2	0.073
1235/1	0.101
725/1	0.032
971	0.061
87	0.105
196	0.020
1148	0.170
126	0.045
127/4-	0.093
128/2	0.061
127/3	0.020
1141/1	0.008
165/1	0.061
185/3	0.049
186	0.049
1134/2	0.061
81/1 क	0.174
81/2	0.113
658/3	0.069
658/4	0.041
1146/1	0.045
967/2	0.097
1099/3	0.004
1100/3	0.037
146	0.045
147/1	0.032
1235/8	0.073
1235/7	0.032
1150	0.008
1226	0.053
193	0.028
190/2	0.077
969	0.008
1099/1	0.020
1100/1	0.117
658/5	0.097
138/1	0.024
78	0.016
79	0.101
80	0.020

(1)	(2)
81/3	0.073
1139/2	0.077
972/1	0.178
1227	0.040
1035	0.097
190/1	0.105
671/1	0.040
192	0.073
970/2	0.073
1140	0.049
1135	0.028
1233	0.032
720/3	0.134
1133/1	0.032
1228/2	0.069
1151/3	0.032
1151/2	0.069
191	0.045
1231	0.016
195/1	0.101
149/2	0.045
1149/1	0.081
1039	0.012
1040	0.040
117/2	0.117
125	0.069
120	0.085
118	0.085
128/3	0.089
145	0.167
1151/1	0.032
1139/3	0.081
1036/2	0.073
1232/1	0.053
970/1	0.069
658/1	0.097
721	0.069
योग 78	5.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर खुज्जी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जुलाई 2004

क्रमांक 6/अ- 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
14/9	0.263
15/1	0.061
12/2	0.061
14/4	0.292
14/5	0.263
3/3	0.162
12/1	0.061
3/1	0.081
3/2	0.364
14/7	0.259
15/2	0.113
16	0.113
14/1	0.037
14/2	0.121
14/6	0.065
14/3	0.615
14/8	0.223
योग 17	3.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंगड़ी योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जुलाई 2004

क्रमांक 9/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सकोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.708 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	210/2	0.243
	195	0.085
	207/3	0.081
	207/4	0.040
	196/5	0.040
	206/4	0.049
	207/1	0.040
	205/2	0.049
	207/2	0.081
योग	8	0.708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवर सोन व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जुलाई 2004

क्रमांक 13/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-भाड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	683/1	0.809
योग	1	0.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवर व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 जुलाई 2004

क्रमांक 21/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-रेहुटा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.163 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
376/1	0.016
376/2	0.012

(1)	(2)
367/2	0.081
367/3	0.077
338/2	0.049
359, 360	0.032
365	0.032
361/2	0.041
362, 363	0.041
344	0.061
389/2	0.061
343	0.130
390	0.020
396	0.028
337/2, 397/1	0.032
337/3	0.020
334	0.041
410	0.077
400	0.045
401/2	0.053
402	0.057
321	0.036
406	0.036
320/1	0.045
320/2	0.020
411	0.020
योग 26	1.163

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2004

क्रमांक 11/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-मटियाडांड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.753 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
287/1	0.121
409	0.125
411	0.113
412	0.182
424	0.113
219/1	0.129
425	0.097
413	0.024
414	0.154
251/2	0.105
221	0.214
410/2	0.097
245/3	0.129
427	0.085
266/4	0.178
402	0.518
410/1	0.162
405	0.069
426	0.024
241	0.057
187/2, 220	0.057
योग 19	2.753

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवर सोन व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2004

क्रमांक 12/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-रटगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.889 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1039	0.105
1037, 1038	0.405
1042, 1044	0.199
1045, 1046/1, 1047, 1053, 1055	1.125
1049	0.113
1040, 1041	0.246
1046/2	0.020
1050	0.020
1080	0.081
1043	0.230
1048	0.323
1051	0.105
1052	0.392
1076, 1077	0.242
1073	0.081
1021/3, 1021/4, 1072	0.121
1075	0.081
योग 17	3.889

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बढ़ईखोलका जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

क्रमांक 18/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पोडी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.084 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/3	0.069
7/1	0.045
7/1 क, 9	0.142
7/2	0.012
51	0.097
52/1	0.089
53/2, 53/3	0.069
20/4	0.061
20/5	0.138
21/2 क	0.081
21/3 क	0.081
411/3	0.073
8	0.077
11	0.134
53/1	0.053
53/4	0.061
401/2	0.097
277	0.218
10/3	0.008
276/1	0.008
273/2	0.057
273/5	0.069
273/7	0.008
272/1	0.040

(1)	(2)
272/5	0.040
272/4	0.008
272/7	0.299
272/9	0.154
287	0.020
286	0.057
284/4	0.069
284/2	0.073
381/1	0.105
381/2	0.174
387/3	0.045
379/1	0.085
379/2	0.032
411/4	0.085
425/1	0.125
424/1, 424/2	0.113
414/1	0.142
408/1	0.138
408/2	0.008
399	0.194
391/1	0.190
352/1	0.040
382/1	0.089
387/1	0.012
योग 48	4.084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

क्रमांक 19/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बिल्लीबंद, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
703/5	0.045
703/6	0.040
703/1	0.032
703/2	0.084
703/3	0.057
703/4	0.085
720/1	0.004
722/2	0.036
722/3	0.101
722/1	0.061
722/4	0.061
777	0.158
778	0.113
766	0.093
776	0.222
775	0.218
768	0.222
767	0.069
765	0.190
762/3	0.040
761/1	0.065
762/1	0.073
761/3	0.020
761/7	0.036
731	0.020
योग 25	2.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 20/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-नगोई, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.439 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179	0.101
199/3	0.101
180/5	0.049
180/17	0.061
180/8	0.089
180/9 ब	0.061
183/8	0.081
186/4/2	0.069
189/5	0.121
214/6	0.024
188/2	0.040
192/1	0.105
190	0.121
193	0.081
195/2	0.032
195/3	0.024
195/1	0.024
199/1	0.089
202/1	0.045
202/3	0.040
202/5	0.040
204	0.417
214/1/4	0.024
214/2	0.036
214/3	0.049
214/4	0.049
215	0.101
216/1	0.073
216/2	0.089
188/1	0.065
182/6	0.045
214/5	0.040
202/2, 202/4	0.053
योग 33	2.439

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 21/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-ढोलमौहा, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.318 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170/3, 171/3	0.008
171/1 क	0.117
126/3, 127/3	0.097
129, 202	0.352

(1)	(2)
152	0.020
164/3	0.105
164/2	0.073
172	0.049
175	0.008
211	0.186
212	0.008
213/1	0.081
150	0.036
178	0.154
174	0.142
173	0.028
171/1 ग	0.032
88/2	0.032
142	0.150
143	0.020
144	0.117
151	0.012
192/1	0.040
164/4	0.008
140/3	0.036
179/1	0.073
88/1	0.121
140/4	0.109
165/2	0.081
165/3	0.081
158/3	0.040
158/4	0.121
167/1	0.024
165/1	0.028
203/2, 209/2	0.061
148	0.008
164/7	0.073
149	0.008
164/1	0.028
159	0.053
170/1, 171/1	0.004
194/1	0.028
304/4	0.243
130	0.077
160/1	0.073
171/1 ख	0.057
180/1	0.016
योग	3.318

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 22/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सुखेना, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
166/1	0.186
167/2	0.093
योग 2	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 23/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुली, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	205	0.081
	198/1	0.089
	206/1	0.016
	206/3	0.105
	206/4	0.028
	207	0.057
	208/2	0.405
	201, 204	0.012
	198/2	0.016
योग	9	0.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 24/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशो॰ अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-टेंगनमुड़ा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/1	0.057
	17	0.097
योग	2	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 25/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-करवा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.995 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22	0.020
13	0.008

(1)	(2)
14/2	0.073
14/3	0.073
14/4	0.020
15/2	0.061
312	0.238
313	0.283
15/1	0.113
15/4	0.053
15/3	0.053
योग 12	0.995

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 26/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-लमरी डबरी, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.301 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
22/1	0.149
42/2	0.364
23	0.165
24	0.057
43/1	0.178
34	0.105
42/18	0.089
12/1	0.020
42/5	0.101
11/3	0.073
योग 10	1.301

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 27/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मिट्ठू नवागांव, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.885 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
142/5	0.109
142/1	0.150
145	0.065
156/5	0.089
156/1	0.065
152/1	0.097
152/6	0.121

(1)	(2)
156/4	0.085
150	0.129
276	0.065
151/1	0.040
151/3	0.061
275/2	0.020
274/1	0.028
278	0.089
289/2	0.036
288	0.081
305/1	0.045
305/2	0.150
306	0.036
284, 300	0.243
151/2	0.032
273/4	0.049
योग 23	1.885

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 28/अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-सोनपुरी, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.301 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
134/2, 134/3	0.186
134/1	0.150
134/4	0.073
134/5	0.137
473/3	0.170
116/6	0.170
432	0.045
115/1	0.073
115/5	0.020
472/2	0.024
115/6	0.073
115/8	0.020
115/7	0.073
355	0.093
352, 353/7	0.081
352, 353/8	0.073
352, 353/9	0.016
352, 353/10	0.049
352, 353/6	0.028
346/3	0.069
371	0.154
473/1	0.150
409	0.020
388	0.065
406	0.024
407	0.024
403/2	0.040
405	0.020
403/1	0.081
436	0.222
435	0.016
365, 366	0.049
430/1	0.045
430/2	0.121
431	0.020
440	0.008
428	0.020
354	0.065
470	0.016
471	0.073
472/1	0.020
472/3	0.134

(1)	(2)
346/1	0.081
115/9	0.020
342/1, 364/2	0.016
473/4	0.081
475	0.093
योग 47	3.301

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 52अ- 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-नगवाही, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.846 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
596/4	0.016
599/2	0.049
305	0.036
596/2	0.045
240/2	0.024
597/1	0.024
237	0.040
243	0.036
230/4	0.045
720	0.117
185/2 क	0.045
185/2 ग	0.040
218	0.049
223/2	0.093
225	0.138
241	0.093
45/1	0.053
312/1	0.045
186	0.073
596/1	0.045
46/3	0.045
218/1	0.045
223/1	0.093
44/1	0.008
601/3	0.053
239	0.040
601/2	0.016
185/2 क	0.012
315/3	0.045
242	0.109
183/1	0.008
230/1	0.012
315/1	0.061
315/2	0.093
230/3	0.036
185/2	0.061
189/1	0.089
316	0.065
190	0.057
45/2	0.053
312/2	0.045
187	0.093
599/1	0.045
185/2 ङ	0.008
230/2	0.057
179/2	0.012
721/1	0.045
719/1	0.045
229/1	0.121
185/2 ख	0.028
184	0.101

(1)	(2)
180/2	0.024
185/1 ख	0.057
596/3	0.061
योग 54	2.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर खुज्जी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 50/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ओडेकेरा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.618 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
415/3	0.020
1071/1	0.016
1067	0.012
46	0.036
38/1	0.004
38/2	0.020
34	0.004
33/1 ख	0.004
32	0.093
29	0.004
197/1	0.004
197/2	0.004
196/1	0.004
242/1	0.024
242/2	0.024
415/4	0.008
415/7	0.004
494/1	0.008
480/1	0.008
417/8	0.004
492/1	0.032
484/1	0.004
966	0.004
968/1	0.020
3162/1	0.016
3162/2	0.004
1066	0.028
1064	0.045
1075, 1076	0.004
1167/2	0.008
1162	0.008
1163	0.012
1237	0.008
1238	0.004
1240/2	0.008
1241/3	0.053
1241/1	0.004
1227	0.049
योग	0.618

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गाडामोर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 51/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-ओडेकेरा, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.176 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
594/2	0.012
595/2	0.004
596	0.020
598	0.004
648	0.012
646	0.004
645	0.004
669/11	0.008
669/16	0.016
669/18	0.032
669/13	0.032
673/1	0.008
672	0.020
योग	0.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमाकोनी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 52/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-भनेतरा, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
373/2	0.004
32	0.004
7	0.004
योग	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भनेतरा ब्रांच माइनर 3 एल.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 53/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-छिर्राडीह, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32/1	0.004
45/1, 46/1	0.004
49	0.012
50/2	0.004
54	0.012
योग	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिर्राडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 54/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुंजियाबोर, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
365/2	0.008
371	0.020
351	0.028
335/4	0.024
योग	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भनेतरा ब्रांच माइनर 1 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 56/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.854 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
143	0.024
144	0.056
68/2	0.101
13/7	0.012
13/6	0.012
43/2	0.024
15/8	0.036
63/3	0.036
63/10	0.016
63/8	0.008
107/5	0.020
107/11	0.004
133/1	0.012
153	0.060
257/1	0.008
341	0.036
343	0.036
303/1	0.044
303/2	0.024
1066/1, 13	0.040
106/2	0.008
353/3	0.016
974/4	0.024

(1)	(2)
13/5	0.080
304/3	0.072
43/1	0.045
योग	0.854

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अचरित-पाली सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 57/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-लिमतरा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.389 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
802/4	0.049
802/3	0.016
327	0.008
273/1	0.008
802/1	0.008
277	0.012
342/1	0.004
483	0.016
516/2	0.008
802	0.032
500	0.008
326/3	0.024
326/2	0.020
312/2	0.012
344	0.032
276	0.012
108, 229	0.020
279	0.004
575	0.036
500/1	0.028
479, 480	0.020
475/2	0.004
482/2	0.008
योग	0.389

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह ब्रांच माइनर 4.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक [illegible] जनवरी 2005

क्रमांक 58/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बोकरेल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115	0.069
114	0.093
योग	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डुमरभांठा उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 59/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-आमनडुला, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.211 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1796	0:053
1670/1	0.061
1671	0.012
1681	0.040
1789/2, 1791	0.045
योग	0.211

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नावागांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 60/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बंजारी, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.578 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.134
129/2	0.089
100	0.036
343/1	0.105
4, 5	0.145
55	0.069
योग	0.578

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिमगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115	0.069
114	0.093
योग	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डुमरभांठा उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 59/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-आमनडुला, प. ह. नं. 03
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.211 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1796	0.053
1670/1	0.061
1671	0.012
1681	0.040
1789/2, 1791	0.045
योग	0.211

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नावागांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 60/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-बंजारी, प. ह. नं. 08
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.578 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.134
129/2	0.089
100	0.036
343/1	0.105
4, 5	0.145
55	0.069
योग	0.578

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिमगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 61/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेपडरमुडा, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.638 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131/8	0.024
136/5	0.028
130/1	0.045
133/1	0.177
137/1, 133/2	0.012
131/9	0.049
118/5	0.024
118/6	0.020
118/1, 118/7, 118/8	0.032
281/3	0.053
424/1	0.057
288	0.016
94/2, 97/2, 98	0.081
49/5	0.020
योग	0.638

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जमगहन माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 62/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-आडिल, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.350 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
133/4	0.036
783/1, 784/1	0.036
825/1	0.045
749	0.085
823/2	0.012
741/1	0.040
448/1, 455/1	0.032
256/1	0.024
137/4	0.032
255/1	0.008
योग	0.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह ब्रांच माइनर 5.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 79/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
355/2	0.032
446/4	0.049
377/1 च	0.020
443/1	0.012
योग	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सारसडोल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 80/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अमेराडीह, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230/1	0.137
योग	0.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमेराडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 82/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कर्रापाली, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/1	0.275
योग	0.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टाटा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 83/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-आड़िल, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1020/2	0.012
1022	0.012
1019/1	0.016
1025/1	0.020
योग	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक/भागोडीह माइनर ब्रांच मांइनर नं. 6.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 84/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-ढिमानी, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.148 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
281/13	0.020
422/1	0.016
28/12	0.012
264/1	0.012
428/1	0.020
178/3	0.040
172/18	0.028
योग	0.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 85/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेसीपत, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.781 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1087/21	0.076
1087/28	0.036
1087/25	0.072
1298/16 ख	0.012
1298/11 क	0.081
1296/11	0.121
1070/9, 1071/9	0.202
1309/4	0.032
1296/16 ख	0.028
1308/1	0.060
1082	0.061
योग	0.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा सब डिवाय.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 86/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
229/4	0.036
योग	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगझर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 87/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कटारी, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.096 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174/1	0.004
136/2	0.012
370/2	0.004
331/6	0.040
374/1	0.008
140	0.008
137, 138/1, 130/2	0.020
योग	0.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटारी ब्रांच माइनर 6.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 88/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिहरिद, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.158 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2048/1	0.061
2055	0.053
2093/1	0.016
2093/2	0.012
2093/3	0.016
योग	0.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़ेसीपत सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 89/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगरिडिह, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.156 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207/7	0.040
207/6	0.067
207/5	0.049
योग	0.156

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलीडीह सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 90/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कटारी, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.189 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
358	0.020
423/1	0.016
423/2	0.020
314	0.016
319/1, 323/1	0.012
356, 389	0.105
योग	0.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक/कटारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 91/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-भुतहा, प. ह. नं. 04
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
306	0.060
योग	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भुतहा ब्रांच सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 92/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-कटारी, प. ह. नं. 02
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82	0.012
योग	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटारी ब्रांच माइनर नं. 7 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 93/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बुन्देली, प. ह. नं. 08
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
401/5	0.012
401/6	0.008
404/9	0.012
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटारी माइनर II.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 94/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-मुक्ता ठाकुर, प. ह. नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.529 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33/3	0.016
28/1	0.036
42/1	0.012
67/1	0.085
69/8	0.053
69/4	0.036
69/14	0.016
71/10	0.008
76/7	0.008
384/1	0.109
76/16	0.036
371/1	0.053
383/3	0.061
योग	0.529

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक/मुक्ता माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 95/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-सोनाडुला, प. ह. नं. 02
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.112 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
693/2, 694/2	0.008

(1)	(2)
511/3	0.028
508/3, 509/2	0.020
601/2, 601/3, 601/4	0.040
700/1	0.016
योग	0.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटारी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 96/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-सकर्रा, प. ह. नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1106/1	0.101
योग	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटारी ब्रांच माइनर 4.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 97/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-कुरदी, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35/4	0.020
36/5	0.008
72/4	0.024
62/2	0.016
36/1	0.057
45/2	0.012
योग 6	0.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नावापारा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 98/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-ढिमानी, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.404 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
422/1	0.012
388/7	0.032
380/2	0.170
387/1	0.032
389/3	0.016
339/2	0.089
425/10	0.053
योग	0.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक/भागोडीह, ब्रांच माइनर 3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 99/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बरभांठा, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.462 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
बरभांठा सब माइनर	
44/2, 45/3	0.008
31/1	0.020
64	0.125
50/1 क	0.028
31/2	0.020
28/1	0.012
27/1	0.020
73/1	0.012
46/3	0.040
56/1	0.028
बरभांठा ब्रांच माइनर	
44/2, 45/3	0.069
109/1	0.040
109/3	0.040
योग	0.462

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरभांठा सब माइनर, बरभांठा ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 100/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पिहरिद, प. ह. नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.688 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1234/4	0.036
1241/1	0.081
1239	0.008
1292/2	0.016
1375	0.024
1367.	0.016
1241/2	0.073
576/1	0.036
573	0.004
538/3, 4	0.081
334/4 क	0.012
1232/3	0.081
572	0.040
321/3	0.032
401/1	0.012
498	0.008
1294	0.016
1290/2	0.028
397/1	0.028
1188/2	0.028
1372	0.012
1408	0.016.
योग	0.688

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमेरा-डीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 101/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-चारपारा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.834 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
नगझर माइनर	
248/7	0.008
258/1	0.016
277	0.008
267/1	0.040
261/18	0.016
265/3 क, 265/4	0.061
चारपारा सब माइनर	
344	0.073
319	0.020
345/1	0.032
336/6	0.073
377/1	0.032
378	0.008
379/5	0.024
379/3	0.040
372/3	0.008
373/2	0.020
467/2	0.012
483/1	0.012
366/4	0.049
482/3	0.040
482/4	0.081
477/3	0.008
495/4	0.024
535/2	0.073
471/13	0.040

(1)	(2)
548/7	0.016
योग	0.834

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारपारा सब माइनर, नगझर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 102/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिहरिद, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.639 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
518/3	0.146
1445/1	0.040
1456/3	0.004
1456/2	0.069
1445/3	0.008
1445/4	0.016
1474/2	0.004
1475/6 ख	0.004
1519/7, 1520/1, 1521/1	0.049
1519/6, 1520/3, 1521/3	0.028
1519/2	0.040
1519/12	0.049
1501/5 ख	0.057
528/1	0.045
1475/4	0.040
1475/1 ख	0.040
योग	0.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिहरिद माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 103/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
191/2	0.012
योग	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मालखरौदा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 104/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़े पाडरमुडा, प. ह. नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/1 क	0.028
5	0.012
31/3	0.016
48	0.061
46/1	0.061
71/1	0.016
योग	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरकार माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 105/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-नौरंगपुर, प. ह. नं. 07

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.248 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
812	0.020
385/1	0.024
315	0.020
316	0.020
313	0.012
871/2	0.020
810	0.012
831	0.012
773	0.008
872	0.024
207	0.020
276	0.012
275	0.012
260/2	0.012
769/3 ग	0.012
385/2	0.008
योग	0.248

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 106/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-देवगांव प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.146 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
547/2	0.008
405/1	0.045
409/8	0.048
546/17, 561/11	0.045
योग	0.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छपोरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 107/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मालखरौदा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.429 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/1	0.081
915/1	0.057
962/3	0.044
599/5	0.126
927/2	0.101
1016	0.020
योग	0.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मालखरौदा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 108/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.458 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
284/4	0.057
284/3	0.040
285/2	0.073
252/1, 2	0.012
286	0.085
234/3	0.049
331/3	0.061
290/6	0.036
288/1	0.045
योग	0.458

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 109/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमतरा, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.188 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
792	0.020
793	0.028
791/4	0.004
791/5	0.020
823	0.016
826/4	0.040
799/1	0.020
791/6	0.020
798	0.020
योग	0.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 110/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-चरौदी, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.157 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
424/1	0.081
314/1	0.012
310	0.036

(1)	(2)
514/3	0.028
योग	0.157

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चरौदा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 112/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नौरंगपुर, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
769/2 ख	0.081
योग	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह ब्रांच माइनर 7.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 113/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124/31	0.024
योग	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह ब्रांच माइनर I.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 114/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.345 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65/2	0.040
51/1 ग	0.052
54/4	0.048
214	0.028
537/11	0.040
538/2, 3	0.028
537/13	0.012
537/7	0.004
574/5	0.012
537/4	0.016
523/5	0.045
209/3	0.020
योग	0.345

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक/बरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 115/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-आडिल, प. ह. नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.132 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
829/1, 2, 3, 1233	0.036
830	0.020
884/2, 882	0.012
1149/1	0.008
1149/8	0.008
881	0.020
1126	0.028
योग	0.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 116/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-औरदा, प. ह. नं. 02
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1380/3	0.032
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटारी ब्रांच माइनर 8 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 117/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोकरेल, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.315 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135/6	0.045
136/2	0.073
370/6	0.040
378/1	0.004
403	0.008
462/1	0.105
398/2	0.008
400	0.008
421/2	0.024
योग	0.315

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोकरेल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 118/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.460 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.024
16/4	0.024
22	0.016
105/1	0.020
23/4	0.020
104/3	0.061
122/3	0.012
122/4	0.045
115	0.105
122/1	0.024

(1)	(2)
203/15, 16, 17, 18, 19	0.077
114/6	0.012
123/3	0.020
योग	0.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडिह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 119/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन् के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्दुरस, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.218 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
951/1, 2	0.016
940/4	0.008
945/4, 946/6	0.121
901/4	0.073
योग	0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नावागांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 120/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भठोरा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
924/1, 924/2	0.028
976/3	0.016
1012/2	0.016
1010/1	0.028
1083/2	0.036
योग	0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिहरिद माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 121/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-खरताल, प. ह. नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/1	0.093
योग	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 122/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-कर्रापाली, प. ह. नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
196/2	0.045
76	0.008
38/5	0.016
22/1, 23/1	0.032
66/3	0.016
27/2	0.028
योग	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोकरेल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 फरवरी 2005

क्रमांक 124/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113/3, 155/2	0.053
157/1 ग	0.008
1057	0.069
योग	0.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फगुरम ब्रांच माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 130/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1516	0.028
1459	0.020
योग	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरा माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 131/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.328 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
934/1	0.024
819	0.024
917	0.093
916	0.024
918	0.045
919	0.020
906/3	0.008
906/2	0.045
905/3	0.069
905/4	0.028
905/1	0.004
880/2	0.004
881/1	0.105
882/4	0.057
882/2	0.004
867	0.061
866	0.109
865	0.129
862/1	0.040
862/2	0.020
839/1	0.081
844/2	0.157
827	0.194
820	0.012
818	0.089
672	0.061
667/2	0.004
671/1, 671/3	0.061
670/1	0.032
670/11	0.053
669/4	0.008
664/2	0.016

(1)	(2)
669/8	0.028
669/6	0.020
667/1	0.065
664/7	0.004
664/4	0.065
656	0.063
637	0.085
655/4, 655/5	0.020
654/1, 2	0.016
655/1	0.049
644	0.049
645	0.024
922, 923	0.093
776, 777, 778	0.040
850	0.016
योग	2.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 132/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-चिंवरा, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.174 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
322/1	0.174
योग	0.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटौद ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 133/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47/2	0.024
24/2	0.020
25	0.040
48/1	0.020
251/1	0.020

(1)	(2)
232/2	0.012
योग	0.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डभरा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 134/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़).
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-केकराभांठा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90/1, 2	0.049
योग	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केकराभांठा ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 135/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-धुरकोट, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
233	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2 आर 1 एल ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 136/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-रेड़ा, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112	0.097
योग	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 137/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-झनकपुर, प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
306/3	0.024
295/2	0.008
305	0.004
362/2	0.008
290/2	0.020
योग	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झनकपुर ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 138/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-खेमड़ा, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.209 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
168/1	0.016
688	0.008
411/1, 4	0.020
447/3	0.020
695/22	0.040
695/31	0.069

(1)	(2)
695/21	0.012
142/6	0.024
योग	0.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डिवाय एवं टेल माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 139/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ओड़ेकेरा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.190 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
345	0.190
योग	0.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सराईपाली ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 140/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-चुरतेला, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
967/4	0.057
1083/2	0.016
योग	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोबरा सब डिवाय नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 141/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-कुसुमझर, प. ह. नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
726/3	0.024
823/2	0.008
904/1 क	0.012
योग	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुरघटी माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 142/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-कुसुमझर , प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
450/2	0.036
453	0.036
181	0.016
177	0.004
539/1	0.012
योग	0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुसुमझर माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 143/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
984	0.020
973/2	0.020
812/2	0.089
योग	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरतुंगा ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 144/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कौड़िया, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
367/1 ख	0.020
370/2	0.012
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1 ब्रांच खैरा माइनर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 145/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेसीपत, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
809	0.061
836	0.040
788/7	0.008
योग	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगझर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक 146/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सकर्री, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.092 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
375/4	0.008
375/2	0.008
400/1, 2	0.036
415/3	0.012
415/2	0.016

(1)	(2)
434	0.012
योग	0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटारी ब्रांच माइनर 3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 1/A 82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मधुबन, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.707 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
112/2 क	0.057
112/2 ख	0.053
112/2 ग	0.053
115/2	0.097
112/3	0.065
113	1.770
114/3	0.408
114/7	0.583
114/4	0.991
114/5	0.991
114/6	0.408
114/7	0.583
115/1	0.081
116/1 क	0.020
116/1 ख	0.020
116/1 घ	0.020
116/1 ग	0.210
116/2 क	0.037
116/2 ख	0.036
118/1 क	0.044
118/1 ग	0.044
119/1	0.046
119/2	0.046
118/1 ख	0.044
योग	6.707

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मधुबन जलाशय डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 2/A 82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भंवरादादर, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-68.516 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1 क	0.040
1/1 ग	0.040
1/1 घ	0.049
1/4	0.040
1/5	0.040
3/1	0.093
3/5	0.028
107/1 ग	0.012
107/1 घ	0.012
113/2 ख	0.028
133/2 ख	0.404
107/2 ख	0.008
1/1 ख	0.040
1/3	0.166
3/3	0.032
3/4	0.028
107/4	0.008
107/5	0.008
107/6	0.008
130/4	0.150
133/2	0.405
1/1 ङ	0.049
1/2	0.040
30/1	0.029
41	0.392
293/3	0.506
3/2	0.089
4	0.458
9/2	0.032
17/2 झ	0.049
60/6 ग/2	0.032
125	0.433
6/1	0.040
15/1	0.327
16/2	0.121
20/1	0.032
39/1	0.312
101/1	0.041
108	0.340
26/2	0.081
6/2	0.040
15/2	0.134
16/7	0.121
207/2	0.053
6/3	0.040
20/2	0.040
20/3	0.040
60/5 क/2	0.024
101/3	0.081
58/3 ग	0.032
101/2	0.053
134/1 ख	0.032
61/1 ज	0.081
7/1 क	0.097
7/1 ख	0.097
7/2	0.065
41, 302/2 ग	0.049
17/1 घ	0.049
19/3	0.081
7/5, 8/3	0.057
99/2 च	0.036
107/1 ख	0.040
252/6	0.134
43/1 ख	0.105
6/4	0.040
20/4	0.016
22/1	0.125
6/5	0.029
20/5	0.036
22/2	0.125
101/4	0.028
6/6	0.024
58/2 ग	0.016
58/2 घ	0.016.
58/2 च	0.020
58/3 क	0.028
58/3 ख	0.028
58/3 ग	0.032
7/3	0.065
7/4	0.065
15/1 ञ	0.049
60/1 घ	0.073
17/1 घ	0.049
25	0.162

(1)	(2)
9/1	0.061
10, 11, 12/1	0.538
10, 11, 12/4	0.089
10, 11, 12/6	0.324
23/2, 24/5	0.040
60/2 ख	0.206
124/2	0.069
23/4	0.032
24/3	0.081
44/1, 99/1 क	0.178
59/3	0.020
10, 11, 12/2	0.223
24/7	0.081
18/1	0.174
124/3	0.073
23/1	0.032
10, 11, 12/3	0.346
10, 11, 12/5	0.121
23/3	0.032
24/2	0.081
124/4	0.073
13/1	0.198
17/1 क	0.190
58/2 क	0.020
68/1 ख	0.008
103/1	0.036
104, 105/1	0.093
127/1	0.081
152/1	0.133
99/2 क	0.311
13/2	0.065
14/4	0.036
19/1 ग	0.028
30/3	0.057
37/1	0.016
43/2	0.154
60/5 झ/1	0.223
68/2 क	0.020
99/2 ख	0.020
103/3 क	0.077
104, 105/2 क	0.121
107/3 क	0.028

(1)	(2)
127/2 क	0.113
255/2 ख	0.458
271/1 ख	0.202
106/4 क	0.021
252/2 ग	0.137
127/5 ख	0.109
13/3	0.065
14/2	0.020
17/1 ख	0.267
19/1 ख	0.016
35/1	0.008
37/5	0.008
66/2	0.065
13/5	0.032
14/5	0.020
19/1 ङ	0.012
30/4	0.028
32/5	0.008
37/4	0.008
39/1 ख	0.016
68/2 ग	0.008
99/2 ग/2	0.012
104, 105/2 ग/2	0.057
106/4 ख	0.024
107/8	0.012
26/1	0.117
63/1 क	0.032
45/3	0.122
102/3	0.097
13/4	0.032
14/3	0.016
19/1 घ	0.024
30/2	0.057
68/2 ख	0.012
59/1 क	0.016
68/2 घ	0.008
99/2 घ	0.020
103/2 ख	0.041
104, 105/2 ख	0.117
252/2 ख	0.105
127/2 ग	0.117
14/1	0.113

(1)	(2)	(1)	(2)
17/1 ङ	0.092	43/3 ख	0.081
99/2 ङ	0.028	44/6, 99/1 च	0.128
103/6	0.032	59/2 ख	0.024
104, 105/5	0.093	254/2 ख	0.051
106/1	0.151	60/5/1 ग	0.170
252/4	0.137	106/2 ख	0.069
60/5, च/2	0.049	107/2 क	0.040
98/9	0.113	276/1 घ	0.101
16/1	0.137	32/3	0.069
16/3	0.137	17/1 ट	0.049
16/4	0.137	60/5, ग/3	0.170
16/5	0.146	17/1	0.324
16/6	0.146	276/1, ङ	0.101
17/1 घ	0.141	44, 99/1 घ	0.119
27	0.162	44, 99/1 ज	0.065
60/5, 60/3	0.049	103/3 ग	0.146
104, 105/6	0.093	254/2 घ	0.050
44, 99/ङ	0.178	35/2 ग	0.016
17/1	0.494	17/2	0.084
32/2 क	0.032	17/3	0.085
34/2 क	0.020	17/4	0.085
43/3 क	0.081	17/5	0.089
44, 99/1/ग	0.340	262/1	0.077
61/3 क	0.073	18/2	0.154
99/2 ग	0.061	270/1	0.101
103/3 क	0.081	270/2	0.081
106/2 क	0.073	270/5	0.031
107/2 क	0.013	65/2	0.061
127//3 ख	0.194	65/3	0.031
127/3 क	0.194	19/1 क	0.081
255/1 घ	0.109	270/1	0.101
255/1 ङ	0.045	19/2	0.081
256/1 क	0.081	19/4	0.085
256/2 ख	0.194	19/5	0.81
276/1 क	0.158	19/6	0.085
276/1 ख	0.202	19/7	0.234
17/1 घ	0.049	102/1	0.097
104, 105/3/घ	0.271	36/2	0.081
103/3 ख	0.040	35/2	0.162
17/1 ज	0.170	45/1	0.121
32/2 ख	0.016	275/1	0.110
255/1 क	0.045	265/1	0.526

(1)	(2)	(1)	(2)
24/1	0.040	60/5, क/2	0.222
25/6	0.041	60/5 ग	0.385
60/3	0.054	142/1, 143/1	0.113
60/4	0.113	64/10 क	0.012
279/1	0.093	64/11	0.024
42	0.287	64/12	0.020
279/3	0.020	64/13	0.012
262/2	0.076	640/15	0.012
262/4	0.154	64/16	0.012
297/1	0.174	64/10 ख	0.012
267/2	0.081	64/1 क	0.012
267/4	0.040	60/5 क	0.607
268	0.073	37/3	0.016
272/3	0.065	106/5	0.049
272/4	0.065	249/1 क	0.109
272/6 क, 272/7	0.065	99/2 ज/1	0.008
272/6 ख, 272/7	0.069	40/1	0.041
64/1 ग	0.020	122/1	0.206
64/3	0.020	40/4	0.057
64/4	0.020	40/5	0.028
64/5	0.012	101/1	0.081
64/6	0.012	122/4	0.049
64/7	0.012	122/5	0.081
64/8	0.012	40/6	0.198
64/9	0.012	100/3	0.129
28/1	0.121	64/1 ख	0.028
44/2, 99/1 ख	0.235	43/1 क	0.065
67/2 ग	0.073	252/3	0.133
62/3	0.036	107/1 क	0.053
104, 105/3	0.271	104, 105/4	0.093
107/3 ख	0.194	40/2	0.049
130/3	0.295	40/3	0.028
14/3	0.061	100/2	0.081
64/2	0.061	122/3	0.081
28/2	0.182	122/2	0.053
28/3	0.178	43/1 ग	0.065
34/1 क	0.036	242/3 ख	0.097
21	0.202	43/4	0.040
28/4	0.172	60/6, ख/2	0.032
34/2 ख	0.040	58/4 क	0.049
34/3, 34/4, 34/5	0.049	58/4 ख/1	0.020
37/2	0.032	103/2 ग	0.081

(1)	(2)
103/2 घ	0.036
34/2 ख	0.040
34/3, 34/4, 34/5	0.049
37/2	0.032
60/5 क/2	0.222
60/5 ग	0.385
142/1, 143/1	0.113
64/10 क	0.012
64/11	0.024
64/12	0.020
103/7	0.036
103/4	0.032
58/4, घ/2	0.028
49/2	0.113
60/6, ख/1	0.037
58/4 घ	0.012
99/7	0.849
58/4 ग	0.028
60/1 ग	0.081
60/1 घ	0.069
126/2	0.275
129/2	0.170
137/1	0.231
137/2	0.077
139/2 क	0.081
139/2 ख	0.061
99/12	1.153
126/3	0.133
126/5	0.134
167/5	0.028
129/4	0.243
137/4	0.263
139/2 घ	0.154
260/4	0.028
60/1 क	0.020
60/5/ख/2	0.239
126/1	0.117
126/4	0.125
129/1	0.104
137/3	0.235
137/5	0.008

(1)	(2)
137/8	0.020
139/1 ङ	0.049
260/3	0.028
139/2 ग	0.081
249/1 घ	0.037
258/4	0.081
60/2 क	0.206
58/4 ङ	0.016
60/1 ख	0.106
129/3	0.162
137/2	0.235
137/7	0.020
129/2 च	0.049
260/1	0.028
60/5 ग/2	0.146
99/11 घ	0.045
60/6 क/1	0.032
60/6, ग/1	0.010
99/11 क	0.412
141/3	0.069
99/11 ग	0.069
60/6, ग/3	0.011
99/11 च	0.470
141/1 ख	0.065
60/6 क /2	0.037
60/6 ग/4	0.011
99/11 ङ	0.109
141/5	0.065
247/2	0.085
61/2	0.049
61/4 क, 61/4 ख	0.049
68/1 घ	0.032
68/3	0.012
68/4	0.012
68/5	0.012
68/6	0.012
69/1	0.020
69/2	0.024
69/3	0.020
99/5	0.300
61/5	0.024
124/1	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
62/2	0.036	118/2	0.093
63/2	0.061	120/3	0.316
99/8	0.809	116/3	0.210
99/13	0.120	117/7	0.125
65/1	0.024	118/4	0.093
66/1	0.096	113/2 क	0.032
58/2 ङ	0.016	118/3	0.170
62/3	0.036	113/1 घ	0.020
63/3	0.057	113/1 ख	0.016
64/2 क	0.129	119/1	0.089
99/6	0.854	118/1 ख	0.0121
117/2 ख	0.024	121/1 क	0.077
133/1 ख	0.057	133/1 ग	0.101
113/1 क	0.024	133/1 ङ	0.036
113/1 ख	0.016	133/1 ख	0.445
119/1	0.089	133/1 द	0.061
118/1 ख	0.121	133/1 ज	0.093
121/1 क	0.077	133/1 ट	0.049
133/1 ग	0.101	135/1घ	0.425
133/1 ङ	0.036	250	1.016
133/3 ख	0.445	113/1ग	0.024
133/1 द	0.061	113/1ज	0.016
133/1 ज	0.093	133/3	0.304
133/1 ट	0.049	133/1 ज	0.445
135/1 घ	0.425	117/1 ख	0.032
250	1.016	117/2 ख	0.020
113/1 ग	0.024	118/3	0.240
113/1 ज	0.016	133/1 क	0.101
133/3	0.304	134	0.462
135/1 ज	0.445	135/2	0.437
117/1 ख	0.032	133/1ढ	0.065
117/2 ख	0.020	133/1त	0.056
118/3	0.240	121/3	0.097
133/1 क	0.101	120/2	0.150
134	0.462	116/2	0.105
135/2	0.437	116/6	0.061
133/1ढ	0.065	118/2	0.093
133/1 त	0.056	120/3	0.316
121/3	0.097	116/3	0.210
120/2	0.150	117/7	0.125
116/2	0.105	118/4	0.093
116/6	0.061	113/2क	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
118/3	0.170	140/7	0.160
113/1घ	0.020	248/1	0.198
113/1च	0.011	248/2	0.198
117/1क	0.061	248/3क	0.097
117/2ग	0.065	259	0.502
118/1क	0.243	249/1ख	0.109
120/2	0.053	258/1ख	0.235
121/1ख	0.198	264/1	0.117
133/1 ख	0.057	266/2	0.081
133/1च	0.445	138, 139/1	0.409
133/1घ	0.057	249/1 ग	0.036
133/1 ज	0.061	249/2	0.543
133/1 झ	0.090	258/3	0.077
135/3	0.425	249/1 ञ	0.037
116/4	0.149	258/5	0.077
116/5	0.061	251/3, 251/4	0.162
121/2	0.227	253/3	0.024
120/1	0.089	272/8	0.065
106/3	0.045	272/9	0.069
119/2	0.158	251/2	0.101
123/1क	0.281	253/1	0.024
123/1ख	0.809	253/4	0.036
123/2	0.331	273,277/1	0.129
128	0.304	249/1च	0.036
49/2क	0.024	258/2	0.077
130/1	0.295	251/1	0.109
142, 143/2	0.029	253/2	0.032
141/4	0.069	272/5	0.069
247/1	0.0785	273, 274/3	0.138
289	0.299	272/2	0.065
290/1	0.252	254/1ख	0.040
290/2	0.251	254/1 ग	0.036
285/2	0.101	255/1ख	0.077
266/2	0.081	254/1 क	0.162
131, 139/3	0.474	254/2 ख	0.040
132	0.591	254/2 ग	0.061
259	0.503	254/2	0.101
269	0.283	256/1	0.069
138, 139/1	0.409	292/2	0.219
99/14	0.405	61/1	0.142
140/2	0.320	263/3	0.077
141/1क	0.069	267/3	0.125
247/अ3	0.081		
288/2	0.089		

(1)	(2)
270/4	0.032
279/2	0.081
257/1	0.482
258/1 ख	0.077
171/1 ख	0.190
263	0.376
264/2	0.158
291/2	0.347
99/3	0.101
292/2	0.372
293/3	0.506
99/4	0.388
284/2	0.016
285/1	0.186
63/1 ख	0.028
60/5 ठ	0.049
252/1	0.024
116/1	0.405
99/2 क	0.311
32/4	0.069
33/1	0.012
33/3	0.012
35/1	0.182
33/2	0.016
31	0.132
26/1	0.121
101/5	0.040
60/5	0.049
60/1 च	0.024
126/6	0.324
249/1 ख	0.109
17/1 क/2	0.190
256/2 क	0.138
256/2 ख	0.137
272/1	0.065
273, 274/2	0.129
104, 105/2 ख	0.060
105/2 ग/1	0.067
60/5 ख/1	0.470
6/6	0.028
263	0.376
264/2	0.158

(1)	(2)
291/2	0.347
99/3	0.101
292/2	0.372
293/3	0.506
99/4	0.388
284/2	0.016
285/1	0.186
63/1 ख	0.028
60/5 ख	0.049
252/1	0.024
116/1	0.405
99/2 क	0.311
32/4	0.069
33/1	0.012
33/3	0.012
35/1	0.182
33/2	0.016
31	0.132
26/1	0.121
101/5	0.040
60/5	0.049
60/1 च	0.024
126/6	0.324
249/1 ख	0.109
17/1 क/2	0.190
256/2 क	0.138
256/2 ख	0.137
272/1	0.065
273, 274/2	0.129
104, 105/2 ख	0.060
105/2 ग/1	0.067
60/5 ख/1	0.470
6/6	0.028
58/2 ख	0.065
103/5	0.040
252/5	0.138
107/7	0.275
योग	68.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मधुवन जलाशय डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्र. क्र. 3/अ- 82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-डडाईडीह, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.411 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
568/1	0.008
568/2 ख	0.027
749, 750/4	0.072
569/1	0.082
591/1	0.036
703/2	0.049
749, 750/1	0.019
569/2	0.082
577	0.068
749, 750/3	0.072
703/1	0.048
749, 750/5	0.036
570	0.050
589	0.109
592/1 क	0.035
592/1 ख	0.035
721/1 क	0.101
774/2 ग	0.024
756	0.113
598/1	0.029
757/2	0.153
704/1	0.105
707	0.180
708/1 ग, 709	0.093
708/2 क, 709	0.093
721/2	0.125
719	0.045
749, 750/2	0.036
588	0.004
753/1	0.120
273, 778	0.121
272, 780	0.093
720	0.166
751, 752/2	0.080
751, 752/4	0.033
705/1 ख	0.101
772	0.134
774/2 क	0.029
722/3	0.075
745/2	0.090
746, 747/1	0.069
748/1	0.062
761/1	0.129
771/2	0.093
724	0.051
726/1	0.207
745/1	0.090
726/3	0.206
740/1	0.047
744	0.170
745/3	0.091
746/1, 747/2, 748/2	0.142
761/3	0.120
753/3	0.091
727	0.079
740/2	0.088
740/3	0.088
765/3	0.056
765/4	0.040
765/5	0.016
765/2	0.056
740/4	0.004
753/2	0.113
754	0.340
766/2	0.141
758/2, 759/2	0.684
757/1	0.309

(1)	(2)
755	0.162
766/3	0.140
749, 750/1	0.077
771/1	0.041
766/1	0.141
758/1, 759/1	0.482
767/1	0.065
757/4	0.306
770/2	0.090
767/2	0.129
770/3	0.090
706/2	0.372
768	0.437
769/1	0.175
773/1	0.067
773/2	0.067
775	0.129
774/2 ख	0.024
273, 779	0.241
763	0.101
762/1	0.036
757/3	0.153
762/3	0.035
762/4	0.035
770/1	0.089
762/2	0.036
704/2	0.162
705/1 क	0.101
705/2 क	0.101
705/2 ख	0.101
705/2 ग	0.061
706/1	0.740
774/1	0.028
751, 752/1	0.045
751, 752/5	0.033
703/3	0.024
751, 752/3	0.080
765/1	0.170
769/2	0.178
योग	12.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मधुवन जलाशय डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 5/अ- 82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे खैरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.195 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	0.057
2	0.057
3	0.081
योग	0.195

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मधुवन जलाशय डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्र. क्र. 6/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-अमलीडीपा, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.989 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
398/1	1.133
447/2	0.283
400/1 क	0.207
400/1 ख	0.206
400/3	0.162
400/4	0.162
399	0.462
402/1	0.462
404/1	0.239
415, 417/1	0.636
402/2	0.462
404/2	0.239
405/1	0.745
413, 414/2	0.162
421/1	0.760
421/2	0.731
421/3	0.290
422	0.243
423	1.639
424	0.750
425	0.745
426/1	0.263
426/2	0.085
426/3	0.085
427/2 क	0.304
427/2 ख	0.063
427/4 क	0.081
427/4 ख	0.831
415, 417/2	0.637
405/2, 406, 407	0.466
408/1	0.615
408/2	1.618
409/1	0.283
418	0.344
409/2, 410	0.454
411	0.161
413, 414/1	1.137
409	0.421
416	1.011
417/1 ख	0.186
427/3	0.304
447/1	0.283
443, 444/1	0.583
443, 444/2	0.583
443, 444/3	0.582
427/6	0.420
428/2	0.170
401	0.303
योग	22.989

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलीडीपा जलाशय डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 7/अ- 82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-भद्रोउड़ान, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.021 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
162, 163, 164/1	0.356
162, 163, 164/2	0.445
162, 163, 164/3	0.243
159, 161	0.057
159/2	0.202
160/3	0.040
158/1	0.040
157/3	0.032
55/2	0.347
159/3	0.134
160/2	0.140
55/1	0.170
160/1	0.178
157/2	0.081
156	0.405
155	0.247
153	0.101
152	0.170
160/4	0.204
55/3	0.169
160/5	0.097
158/2	0.012
157/1	0.158
57/2	0.344
151	0.061
54/1	0.231
53	0.040
52	0.299
49/1, 51	0.486
169/1	0.032
169/3	0.253
169/2	0.254
योग	6.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलीडीपा जलाशय डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 मार्च 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 4/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-भद्रा, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/1 ख	0.445
73/2 ख	0.243
76	0.421
77/1	0.081
79/2	0.120
99/2 ग, 100/1	0.057
101/2	0.142
105/2	0.109
105/4	0.109
99/1 ख	0.011
79/1 क	0.062
88/3 क	0.021
78/1	0.300
83/4	0.030
82/2	0.030
87/5	0.029
99/1 घ	0.010
88/3 ग	0.020
77/3	0.129
80/2, 81/2, 85/2	0.182
80/3, 81/3, 85/2	0.405
84/2	0.040
102/3	0.033
110/3	0.062

(1)	(2)	(1)	(2)
80/4, 81/4, 85/3 क	0.801	126/5	0.207
82/1	0.140	83/2 ख	0.050
87/3	0.040	87/2 ख	0.045
82/3	0.030	105/5	0.274
83/5	0.030	109/2	0.324
87/6	0.028	114	0.356
83/1 क	0.032	118/1	0.518
87/1 क	0.198	97	0.340
83/1 ख	0.029	111/1 क	0.251
87/1 ख	0.197	94	0.077
86/1	0.745	98/2	0.611
103	0.267	111/1 छ	0.652
83/2 क	0.069	111/2	0.162
87/2 क	0.044	112	0.214
86/2	0.745	102/1	0.134
91/1	0.545	110/1	0.247
92/4	0.101	88/1	0.089
83/3	0.120	88/10	0.020
87/4	0.089	88/2	0.065
110/2	0.185	80/5, 81/5, 84/5 क	0.098
102/2	0.096	80/5, 81/5, 84/4 ख	0.307
88/5	0.057	84/1	0.045
99/2 ग/1, 100	0.162	125/1 क	0.084
88/4	0.061	124	0.223
99/2 क, 100	0.202	121/4	0.120
105/1	0.141	126/5 ख	0.101
89	0.733	121/2	0.040
91/2	0.077	115/1	0.150
91/7	0.120	116/2	0.008
91/9	0.152	117/2	0.228
92/2	0.057	120/2	0.283
92/5	0.053	125/1 ख	0.368
101/1	0.332	115/2	0.149
104/3	0.676	116/1	0.101
104/1	0.113	117/2	0.113
105/3	0.202	118/2	0.121
121/1	0.120	117/3	0.113
91/8	0.120	122	0.129
91/10	0.152	123	0.040
92/3	0.057	79/1 ख	0.062
92/6	0.056	88/3 ख	0.020
125/1 क	0.084	99/2 ग, 100	0.074

(1)	(2)
99/1 ग	0.011
121/3	0.161
125/3	0.081
126/1	0.336
126/4	0.113
126/2	0.381
126/3	0.267
125/2	0.320
योग	20.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मधुवन जलाशय डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.